न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2019
प्रविष्टि दिनांक 1–7–2019

रमेश कंवर पुत्री स्व0 श्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

1–महावीरसिंह पुत्र स्व0 श्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0
2–भगवानसिंह पुत्र स्व0 श्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राज0
3–तहसीलदार टोंक जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 836 ग्राम डारडाहिन्द द्वारा तहसीलदार टोंक

निर्णय दिनांक 21–1–2021

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक ने आराजीयात खसरा नम्बर 1633 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1634 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1652 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1656 रकबा 14 बिस्वा, खसरा 2576 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ,खसरा नम्बर 2787 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 3007 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3028 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक जो कि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्टस के पिता केसरसिंह पुत्र नाथूसिंह जी की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी, के सम्बन्ध में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 836 के जरिये केसरसिंह के फोत होने पर रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2 एवं अपीलान्ट की स्वर्गीय माता श्रीमति सदा कंवर के नाम से भर कर उसे तस्दीक किया है। तहसीलदार टोंक के आदेश दिनांक 19–2–1993 से भरा गया नामान्तरकरण सं0 836 वाके ग्राम डारडाहिन्द निरस्त किया जाकर 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में भरने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। रेस्पोडेण्ट उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्ध दिनांक 9–1–2020 को एक तरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

कार्यवाही के आदेश दिये गये। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार टोंक द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 836 आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक केसरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी महावीर सिंह, भगवान सिंह, रमेशकंवर व सदाकंवर है। केसरसिंह की खातेदारी की आराजियात में तत्कालीन समय में अपीलार्थी का रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 एवं स्वर्गीय श्रीमति सदाकंवर के साथ बहिस्सा बराबर यानि अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है। परन्तु तहसीलदार टोंक ने केसरसिंह की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट नं. 1,2 व स्वर्गीय सदा कंवर के नाम ही अंकित कर दिया जो गलत होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार टोंक व पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक केसरसिंह के वारिसान की विधिवत रूप से कोई जांच नहीं की और सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेण्टस व सदाकंवर के हक में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो कानूनी रूप से अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर और अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एंव मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। जबकि विवादित आराजीयात पर पूर्व में 1/4 हिस्सा की भूमि पर तथा वर्तमान में सदा कंवर के फोत होने पर 1/3 हिस्से की भूमि अपने पूर्वज के समय से लगातार काबिज होकर जमीन को मौके पर काश्त करती चली आ रही है। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करने में तहसीलदार ने भूल की है। तहसीलदार ने केसरसिंह के फोती के नामान्तरकरण को तस्दीक करने से पूर्व गांव में जाकर न तो वारिसान की जांच की और न ही गांव में मोतबीर लोगों से पूछताछ की और न ही गवाहान के बयान लिये और मनमाने रूप से केसरसिंह के रेस्पोडेण्टस व स्वर्गीय सदाकंवर को वारिस मानते हुए तन्हा रूप से सारी आराजियात का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस व सदाकंवर के नाम कर दिया।

अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को उक्त विवादित नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, अपीलार्थी ने प्रधानमन्त्री किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने नाम की जमाबन्दी लेने के लिए पटवारी हल्का के पास जाने पर अपीलार्थी को इस बात का पता चला। अपीलान्ट ने 24–6–2019 को नियमानुसार नकल लेकर अपील मय प्रार्थना पत्र दफा–5 के प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय का प्राप्त है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामानतरकरण सं0 836 दिनांक 19–2–1993 ग्राम डारडाहिन्द निरस्त फरमाया जाकर केसरसिंह पुत्र नाथूसिंह की विवादित आराजियात में (सदाकंवर के फोत होने पर) 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में भरा जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

संशोधन 2005 द्वारा पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार दिये गये है और यह प्रावधान किया गया है कि यदि 20 दिसंबर 2004 तक परिवार की सम्पत्ति का विभाजन नहीं हुआ है तो पुत्री को भी पुत्र के समान विभाजन की मांग करने का अधिकार हैं परन्तु शर्त यह है कि पिता 9 सितम्बर 2005 को जीवित हो। संशोधित प्रावधानों का प्रभाव भूतलक्षी न होकर भविष्यलक्षी है। चूकि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण सं0 836 दिनांक 19–2–1993 को ही तस्दीक किया जा चुका था। अपीलान्ट ने कब्जे के आधार पर नामान्तरण में नाम जुड़वाना व नामान्तरण्करण खारिज करवाना चाहा है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 836 दिनांक 19–2–1993 वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner